तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज निगरानी/टी.ए./2624/2004/बूंदी कल्याण बनाम मांगीलाल	नम्बर व तारीख

<u>न्यायालय – राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर</u>

<u>एकलपीठ</u>

श्री गणेश कुमार, सदस्य

उपस्थित –

श्री यज्ञदत शर्मा, विद्वान अधिवक्ता, प्रार्थी

श्री ईश्वर देवडा, विद्वान अधिवक्ता, अप्रार्थी संख्या– 2

निर्णय

दिनांक 14.12.2023

प्रार्थीगण ने यह निगरानी राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 230 के अन्तर्गत राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा द्वारा प्रकरण संख्या 163/2001 बउनवानी कल्याण बनाम मांगीलाल व अन्य में पारित आदेश दिनांक 05–06–2004 के विरूद्ध प्रस्तुत की है।

उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्तागण की बहस सुनी गई।

विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी निगरानीकार ने मीमों में अंकित तथ्यों की पुनरावर्ती करते हुए तर्क किया कि विवादित भूमि को उन्होंने रेस्पोडेन्ट संख्या– 2 से पंजीकृत बेचाननामा दिनांक 19–06–1997 से क्रय किया था किन्तु रेस्पोडेन्ट संख्या– 2 ने विवादग्रस्त भूमि का दुबारा बेचान कर दिया जिसका पंजीकृत बेचाननामा दिनांक 30–05–1998 है। रेस्पाडेन्ट संख्या– 1 अन्य पिछड़ा वर्ग का सदस्य है जबकि रेस्पोडेन्ट संख्या– 2 एवं अपीलांट अनुसूचित जाति के सदस्य है। जांच के उपरान्त हमारा इंतकाल दिनांक 24–11–2002 खारिज दिया गया और अपीलाधीन निर्णय से विवादग्रस्त भूमि सिवायचक दर्ज कर परीक्षण न्यायालय ने हमे न तो पक्षकार बनाया एवं न हीं हमें सुनवाई का अवसर दिया इसलिए दोनों अधीनस्थ न्यायालयों के आदेश अपास्त किए जावे व निगरानीकार को सुनवाई का मौका दिया जावे।

विद्वान अधिवक्ता अप्रार्थी गैर–निगरानीकार का तर्क है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित किया गया निर्णय सही है क्योंकि अप्रार्थी संख्या–1 मांगीलाल समान्य जाति का है और विक्रेता अनुसूचित जाति का है और आगे यह भी कथन किया है कि जगन्नाथ तो अपनी संपति बेच चुका है। अतः निगरानी खारिज की जावे।

उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली एवं पारित निर्णय का अवलोकन किया।

प्रस्तुत प्रकरण में यह तथ्य निर्विवाद है कि खसरा नंबर 775 रकबा तीन बीघा 18 बिस्वा जगन्नाथ पुत्र छीतर जाति चमार निवासी ग्राम खानिका तहसील नैनवा के नाम थी। जिसने प्रथम विक्रय पत्र दिनांक 19–06–1997 के द्वारा कल्याण निगरानीकार को जरिए रजिस्टर्ड सेल डीड विक्रय की गई थी और इसी जमीन को जगन्नाथ ने पुनः दिनांक 30–05–1998 को मांगीलाल मोबिया (जोकि अनुसूचित जाति सदस्य नहीं है) को बेचान कर दी और उसके नाम नामांतरण खोलने पर नायब तहसीलदार द्वारा धारा 42 राजस्व काश्तकारी

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज निगरानी/टी.ए./2624/2004/बूंदी कल्याण बनाम मांगीलाल	नम्बर व तारीख

अधिनियम का उल्लंघन होने के आधार पर नामांतरण निरस्त करने के लिए धारा 175 की कार्यवाही के लिए उपखंड अधिकारी, नैनवा के यहां आवेदन पेश किया और उक्त आवेदन दिनांक 13-01-2006 को स्वीकार करते हुए उक्त भूमि सिवाय चक दर्ज करने के आदेश कर दिए उसके विरुद्ध अपीलार्थी कल्याण ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष अपील प्रस्तुत की वह अपील भी दिनांक 05-06-2004 को खारिज की गई है प्रार्थी निगरानीकार ने वृहद पीठ का निर्णय **1979 आरआरडी पेज 01 बउनवानी केरिया बनाम सन्वालिया** पेश किया है और तर्क किया है कि ज्यो ही संपत्ति जरिए विक्रय पत्र कर दिया जाता है तो स्वामित्व अंतरित हो जाता है और म्यूटेशन तो मात्र औपचारिकता मात्र है इस कारण प्रार्थी की जमीन जो सिवाय चक दर्ज की गई है वह नहीं की जा सकती। मौजूदा प्रकरण में तथ्यों के परिपेक्ष में यह तथ्य सही है कि कल्याण को तहसीलदार ने उपखंड अधिकारी, नैनवा के यहां पक्षकार नहीं बनाया था और उसे अपना पक्ष रखने का अवसर भी प्रदान नहीं किया गया था किसी भी व्यक्ति जो की रजिस्टर्ड विक्रय पत्र द्वारा खरीदशुदा संपत्ति का मालिक होना बताया है उसे सुनवाई का अवसर दिए बिना उसकी जमीन को राजकीय घोषित करना इस न्यायिक दृष्टांत के परिपेक्ष में विधि सम्मत नहीं है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा विचारण न्यायालय के आदेश की पुष्टि करने में विधिक भूल की है और प्रार्थी को सुनवाई का अवसर नहीं मिला है इसलिए दोनों अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय व आदेश अपास्त किए जाने योग्य हैं।

परिणामतः प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत निगरानी स्वीकार की जाती है और उपखंड अधिकारी, नैनवा द्वारा प्रकरण संख्या-1/2001 बउनवानी सरकार बनाम जगन्नाथ पारित आदेश दिनांक 13-06-2001 व राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा द्वारा प्रकरण संख्या 163/2001 बउनवानी कल्याण बनाम मांगीलाल व अन्य में पारित आदेश दिनांक 05-06-2004 को अपास्त किया जाता है।

पक्षकारान को जरिये अधिवक्तागण पाबंद किया जाता है कि वह विचारण न्यायालय उपखंड अधिकारी, नैनवा के समक्ष दिनांक 15-01-2024 को उपस्थित हो।

निर्णय की प्रति के साथ अधीनस्थ न्यायालय को अभिलेख भिजवाया जावे। निर्णय की सूचना कम्प्यूटर कर दर्ज कर प्रदान की गयी। पत्रावली बाद इन्द्राज दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(गणेश कुमार)
सदस्य